11.6.18

पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत अन्तर्गत में आदेश लेकर कोर्ट ए.पी. सायना कुर्ड में पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उप. लोक अदालत शामिल हुए प्राप्त हुए। विपक्षीगण को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये थे। जो पर्याप्त: सुनवाई का अवसर दिये जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर ~~विस्तृत~~ आदेश से लिखवाया जाकर पत्रावली साथ रखा गया और शामिल मिसल किया जाए।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

राजस्व लोक अदालत अभियान–
न्याय आपके द्वार 2018

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,(एस.डी.ओ.)सिणधरी

(लोक अदालत/कोर्ट केम्प–अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत पांयला खुर्द)
पीठासीन अधिकारी–श्री अंजुम ताहिर सम्मा ,आर.ए.एस

राजस्व आवेदन स.230/2017

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1.गजेसिंह पुत्र पीरसिंह 2.राणसिहं पुत्र पीरसिंह 3.छगनकंवर पत्नि पीरसिंह जाति राजूपत निवासी रामदेवरा(पांयला खुर्द) तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर		1.जोगसिंह पुत्र सुजानसिंह जाति राजपूत निवासी पांयला खुर्द तहसील सिणधरी 2.भंवरलाल पुत्र लक्ष्मणराम जाति जाट निवासी बाड़मेर हॉल पांयला खुर्द 3.रतनलाल पुत्र प्रेमजीत जाति धोबी निवासी जोधपुर 4.सोहनराम पुत्र भंवरलाल गोसाई जाति जटिया निवासी धोरीमन्ना तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर 5.तहसीलदार सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956
(वास्ते–विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थिति–

1 श्री बाबुलाल विश्नोई,अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।

2. विप्रार्थीगण एकरतफा।

<u>आदेश</u>

दिनांक–11.6.2018

1.संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम पांयला खुर्द पटवार क्षेत्र पांयला खुर्द तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 345 रकबा 56–09 ब्रीधा तहसील सिणधरी की भूमि आई हुई है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। इस कारण

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Scanned by CamScanner

ार्थीगण द्वारा ग्राम पांयला खुर्द पटवार क्षेत्र पांयला खुर्द तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 345 रकबा 56–09 बीधा भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2.प्रार्थी के आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। एवं राजस्व लोक अदालत में उपस्थित होने हेतु भी सूचनार्थ नोटिस जारी किये गये। लेकिन विप्रार्थीगण बावजुद नोटिस तामिल के हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.वकील प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया,कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम पांयला खुर्द पटवार क्षेत्र पांयला खुर्द तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 345 रकबा 56–09 बीधा भूमि आई हुई है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है,और प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि मे आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि ग्राम पांयला खुर्द पटवार क्षेत्र पांयला खुर्द तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 345 रकबा 56–09 बीधा भूमि की पक्की नेखमबन्दी के आदेश फरमावे जावें।

4.हमनें वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड,सलंग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य मे विवेचन किया गया। जिसमें पाया कि ग्राम पांयला खुर्द पटवार क्षेत्र पांयला खुर्द तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 345 रकबा 56–09 बीधा के प्रार्थीगण रिकार्डड खातेदार है। जो पत्रावली के सलंग्न विवादित भूमि की जमाबंदी संवत 2071 से 2074 से प्रमाणित होता है। इस कारण प्रार्थीगण काश्त की सुविधा हेतु अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी करवाना चाहते है,विप्राथीगण बावजूद रजिस्टर्ड नोटिस तामील होने के उपरांत भी हाजिर नहीं हुए है,इससे प्रतीत होता है,कि विप्रार्थीगण को प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी किये जाने में कोई आपति नहीं होगीं। ऐसी सूरत में उक्त भूमि की नेखमबन्दी किये जाने में कोई आपति प्रतीत नहीं होती है।

5. लिहाजा,प्रार्थीगण का आवेदन राजस्व लोक अदालत की भावना को मध्यनजर रखते हुए स्वीकार किया जाकर ग्राम पांयला खुर्द पटवार क्षेत्र पांयला खुर्द तहसील सिणधरी की खेत

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Scanned by CamScanner

खसरा संख्या 345 रकबा 56–09 बीघा भूमि के सबंध में सीमाज्ञान की नियमानुसार कार्यवाही तहसीलरदार सिणधरी करावें। सीमाज्ञान शुल्क प्रार्थीगण द्वारा नियमानुसार वहन किया जावेगा। तत्पश्चात विवादित भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 500/प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

(अंजुम ताहिर सम्मा)
उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

आदेश आज दिनांक 11/6/18 को लिखवाया जाकर मजमें आम सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी
उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Scanned by CamScanner